[2022] 9 एस. सी. आर. 972

पी. धरमराज

वी.

षण्मुगम और ओआरएस।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1514)

सितंबर 08,2022

[S.ABDUL नासिर और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 320 , 482 - अपराध का संयोजन-उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ-प्रयोग

की अनुमति-एस के अनुसार। 320 (9) , जैसा कि उक्त धारा में प्रावधान किया गया है, उसके अलावा किसी भी अपराध को चक्रवृद्धि नहीं किया जा सकता है-इस तरह से शामिल नहीं किए गए अपराधों का चक्रवृद्धि अनुमत नहीं है-गैर-चक्रवृद्धि अपराध उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। कोड और कला का s.482। 226 संविधान के अनुसार और इसे समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है, लेकिन अदालत को इस तरह की अधिकारिता का प्रयोग करते समय धीमी गति से चलना पड़ता है, जब अपराध का न केवल पक्षों पर बल्कि अन्य पर भी प्रभाव पड़ता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार राज्य और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ एक अपराध है। न्यायालय आधिकारिक पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाने से जुड़े मामलों से नहीं निपट सकता है, जैसे कि विशिष्ट मामलों के लिए मुकदमे।

प्रदर्शन, जहां भुगतान किए गए धन की वापसी भी समझौते को संतुष्ट कर सकती है-लोक सेवक द्वारा इस तरह की भ्रष्ट प्रथाएं निस्संदेह पीसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को आकर्षित करती हैं।

सार्वजनिक रोजगारः सार्वजनिक रोजगार में भ्रष्टाचार-आपराधिक कार्यवाही में लोकस स्टैंडी पर चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एक संबंधित रिट याचिका में दायर जांच अधिकारी के जवाबी हलफनामे से यह स्पष्ट है कि

ऐसे व्यक्ति जो पैसे देने का दावा करते हैं, लेकिन आदेश प्राप्त नहीं करते हैं नियुक्ति के, केवल पीड़ित नहीं थे। यदि वे आरोप अंततः साबित हो जाते हैं, तो वे व्यक्ति जो अधिक मेधावी थे, लेकिन जो पैसे देने वाले और चुने गए उम्मीदवारों द्वारा बाहर किए जाने के कारण चुने नहीं गए, वे भी कथित भ्रष्ट प्रथाओं के शिकार होते हैं। तथ्य यह है कि उम्मीदवार, जिनका चयन और नियुक्ति सरकारी/सार्वजनिक निगमों में पदों पर की जाती है

भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाकर, अंततः सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुलाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता भ्रष्ट लोगों के विपरीत अनुपात में होगी।

उनके द्वारा अपनाई गई प्रथाएँ। इसलिए, जनता, जो इन सेवाओं के प्राप्तकर्ता हैं, वे भी पीड़ित हो जाते हैं, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इस तरह की नियुक्तियों के परिणाम नियुक्तियों द्वारा किए गए काम में जल्द या बाद में दिखाई देते हैं। इसलिए, यह कहना कि अपीलार्थियों का कोई अधिकार नहीं है, जो स्पष्ट है, उसके अस्तित्व को नकारना है। [पैरा 16,18] [985-जी-एच; 986-ए, डी-एफ]

जनता दल बनाम। एच. एस. चौधरी और अन्य (1991) 3 एस. सी. सी.

756 : [1991] 3 एस. सी. आर. 752-लागू नहीं होता है।

पी. एस. आर. साधनानथम बनाम अरुणाचलम और एक अन्य

(1980) 3 एस. सी. सी. 141 [1980] 2 एस. सी. आर. 873; ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2

एससीसी 1: [2014] 4 एस. सी. आर. 562-संदर्भित।

2. यह स्पष्ट है कि अंतिम रिपोर्ट में आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 406,409,420 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए फंसाया गया है। आई. पी. सी. की धारा 506 के तहत अपराध को छोड़कर इनमें से कोई भी अपराध नहीं है।

धारा 320 की उप-धारा (1) के तहत शमनीय। धारा 406 और 420 के तहत अपराध शमनीय हैं। उप-धारा 320 की धारा (2)। धारा 320 की उप-धारा (9) यह स्पष्ट करती है कि किसी भी अपराध को निम्नलिखित के अलावा चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगाः

अनुभाग द्वारा प्रदान किया गया। इसलिए, अंतिम रिपोर्ट में शामिल आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत अपराध को और बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के अंतिम पैराग्राफ में मान्यता दी है कि अंतिम रिपोर्ट में ऐसे अपराध शामिल हैं जो शमनीय नहीं हैं। [पैरा 31,32] [993-सी-ई]

ज्ञान सिंह बनाम। पंजाब राज्य और एक अन्य (2012) 10 एससीसी 303 [2012] 8 एससीआर 753; महाराष्ट्र राज्य

केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से v. विक्रम अनंत दोशी और अन्य (2014) 15 एस. सी. सी. 29: [2014]

10 एस. सी. आर. 506-निर्भर।

3. न्यायालय को अभ्यास करते समय भी धीमी गति से चलना पड़ता है

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के मामले में संविधान की धारा 482 Cr.PC या अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र

दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर, जब [2022] 9 एस. सी. आर.

4. लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार राज्य और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ एक अपराध है। अदालत मामलों से नहीं निपट सकती है। आधिकारिक पद का दुरुपयोग और भ्रष्ट लोगों को अपनाना

प्रथाएं, जैसे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सूट, जहां भुगतान किए गए धन की वापसी भी अनुबंध धारक को संतुष्ट कर सकती है। इसलिए उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने में पूरी तरह से गलती की। [पैरा 44] [1000-बी-सी]

मदन मोहन मठाधीश बनाम। पंजाब राज्य (2008) 4 एससीसी

582 [2008] 5 एस. सी. आर. 526-विशिष्ट।

बी. एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा (2003) 4 एस. सी. सी. 675: [2003] 2 एससीआर 1104; निखिल मर्चेंट बनाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो और ए. एन. आर. (2008) 9 एससीसी 677: [2008] 12 एस. सी. आर. 236; मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एस. सी. सी. 1: [2008] 14 एस. सी. आर. 539; नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (2014) 6 एस. सी. सी. 466 [2014] 4 एस. सी. आर. 1012; केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम। ए. रविशंकर प्रसाद और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 351 [2009] 9 एस. सी. आर. 1025; परबतभाई अहीर @परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य। वी. गुजरात राज्य (2017) 9 एससीसी 641: [2017] 10 एस. सी. आर. 12; मध्य प्रदेश राज्य बनाम ध्रुव गुर्जर और एक अन्य (2019) 2 एमएलजे करोड़ 10;

संजय तिवारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 2020

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1027-संदर्भित।

पी. धरमराज बनाम षण्मुगम और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 12

पैरा 5 (x)

संदर्भित किया गया है

अप्रयोज्य रखा गया

[1991] 3 एससीआर 752

पैरा 21

[1980] 2 एससीआर 873

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

[2014] 4 एससीआर 562

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[2012] 8 एससीआर 753

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

[2003] 2 एससीआर 1104

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2008] 12 एससीआर 236

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2008] 14 एससीआर 539

संदर्भित किया गया है

पैरा 33

[2014] 4 एससीआर 1012

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[2014] 10 एससीआर 506

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2008] 5 एससीआर 526

प्रतिष्ठित

पैरा 39

[2009] 9 एससीआर 1025

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः

आपरा

धिक अपील

2022 का No.1514।

उच्च न्यायालय के 30.07.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में मद्रास में न्यायिक कार्य। 2021 का ओ. पी. सं. 13374 और सी. आर. एल. 2021 का एम. पी. No.7355

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1515-1516 2022 तक। सिद्धार्थ भटनागर, ए. एन. वेणुगोपाल गौड़ा, राकेश द्विवेदी,

मनन कुमार मिश्रा, ए. मरियारपुथम, मुकुल रोहतगी, प्रभाकरण, गोपाल शंकरनारायणन, सी. ए. सुंदरम, सुश्री एस. प्रभाकरण, सीनियर।

अधिवक्ता,। एम/एस के लिए राकेश शर्मा आर., सिद्धार्थ अय्यर, सुश्री प्रचेता कर, नदीम ए., प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा राठी, सुश्री गरिमा जैन, सुश्री आकृति प्रिया, डॉ. राम शंकर, सुश्री अंजुल द्विवेदी, सुश्री उषा प्रभाकरण, सुश्री सुजाता बागड़ी, आर्य त्रिपाठी, तरुणवीर सिंह, सुश्री थीपा एम., सुश्री दिव्या, एन. बी. कुमार, एम. नवीन। राम शंकर एंड कंपनी, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, एल. ए. गौतम, सुश्री टी.

अर्चना, मोहित सिंह, सुश्री जान्हवी दुबे, सुश्री रोहिणी मूसा, जफर इनायत गनी, यूसुफ, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

विशेष अनुमति याचिका (ओं) दायर करने की अनुमति दी जाती है

2022 का D.No.11748।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. तीन विशेष अनुमति याचिकाएं हैं, जिनमें से दो मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देती हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "Cr.P.C") की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका, संसद सदस्यों और संसद के सदस्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष अदालत की फाइल पर लंबित 2021 के CC No.25 में एक आपराधिक शिकायत को रद्द करती है।

तमिलनाडु की विधान सभा, इस आधार पर कि सभी पीड़ित

अभियुक्तों के साथ अपने दावों से समझौता किया है। तीसरी विशेष अनुमति याचिका एंटी नाम के तीसरे पक्ष द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश से उत्पन्न होती है।

भ्रष्टाचार आंदोलन, रद्द याचिका में दिनांकित 30.07.2021 के आदेश को वापस लेने की मांग।

4. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है, जिसमें वास्तविक शिकायतकर्ता, के रूप में नामित व्यक्ति शामिल हैं।

अभियुक्त के साथ-साथ तीसरे पक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से रुचि/प्रभावित होने का दावा करते हैं।

पृष्ठभूमि तथ्य

(i) महानगर परिवहन निगम के कारखाने की तकनीकी शाखा में काम करने वाले के. अरुलमानी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर तमिलनाडु में 2018 की अपराध संख्या 344 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

13.08.2018 . किसी भी भ्रम से बचने के लिए, उक्त शिकायत की सामग्री निम्नानुसार निकाली गई हैः

" मैं पेराम्बुर में महानगर परिवहन निगम (एम. टी. सी.) की फैक्ट्री के तकनीकी विंग में एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हूं। वर्ष 2014 में, परिवहन विभाग में कंडक्टर और ड्राइवर के पदों के लिए मौजूदा रिक्तियों के संबंध में एक घोषणा। जब मैं काम के सिलसिले में पल्लवन सलाई में अपने मुख्य कार्यालय गया, तो श्री राजकुमार पी. धरमराज बनाम।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि वह कुंभकोणम के पास पंबाईपदयूर के रहने वाले हैं और उनका तत्कालीन परिवहन मंत्री बालाजी और उनके छोटे भाई अशोक कुमार के साथ करीबी संपर्क हुआ था।

शनमुगम, जो श्री सेंथिल बलजई के निजी सहायक थे और पैसे देने पर निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। अम्बेडकर, सेंथिल, विजयकांत, मुथैया और कुछ अन्य दोस्तों ने उन्हें परिवहन निगम में नौकरी दिलाने के लिए कहा और वे इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं।

मैंने कहा कि एक Mr.Rajkumar के माध्यम से पैसा दिया जाना है और अगर कोई समस्या सामने आती है, तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने भी, उसी पर सहमति व्यक्त करते हुए, मुझे 25.12.2014 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान कई किश्तों में पैसे दिए।

04.01.2015 , राशि Rs.40,00,000/- है। श्री राजकुमार को उन विवरणों से अवगत कराया। जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में, वह और मैं थिरू सेंथिल बालाजी के घर गए।

आर. ए. पुरम उस समय श्री षण्मुगम, पी. ए. थिरु सेंथिल बालाजी मेरे पास आए और उन्हें Rs.40,00,000/- की राशि प्राप्त हुई। हमने थिरू शनमुगम से आग्रह किया कि वे थिरू अशोक कुमार और थिरू सेंथिल बालाजी को व्यक्तिगत रूप से देखें। थिरू अशोक कुमार, जो वहाँ आए थे, जब हमने राशि दी थी, ने आश्वासन दिया था कि जिन लोगों ने राशि का भुगतान किया है, वे नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। फिर वे हमें थिरू सेंथिल बालाजी के पास ले गए। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, उन्हें निश्चित रूप से नियुक्ति के आदेश दिए जाएंगे।

परिवहन निगम द्वारा जारी नामों की सूची में, जिन व्यक्तियों को मैंने पैसे दिए थे, उनके नाम नियुक्तियों की सूची में नहीं आए हैं। इसलिए, जिन लोगों ने दिया पैसे मुझे पैसे वापस करने के लिए परेशान करने लगे। जब मैंने इस बारे में थिरू राजकुमार से पूछा तो उन्होंने कहा कि अगली सूची में उनके नाम जरूर आएंगे। लेकिन अगली सूची में भी किसी का नाम नहीं आया। जब मैंने थिरू राजकुमार को यह बताया, तो उन्होंने कहा कि वह अशोक कुमार और षण्मुगम से इस बारे में पूछताछ करेंगे और फिर वह कहेंगे। लेकिन हर बार जब मैंने राजकुमार से पूछा, तो मुझे वही जवाब देते हुए कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा। जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए, उन्होंने शुरू किया

मुझे धमकाते हैं। उनके आग्रह पर, मैंने उन्हें केनरा बैंक, अम्बातुर शाखा में अपने बचत बैंक खाते से अपने चेक प्रतिभूति के रूप में दिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अनुसरण में, जब मैंने राजकुमार से 12.10.2015 पर पूछा

पैसे वापस करने के लिए, उन्होंने मुझे दो चेक दिए

सिटी यूनियन बैंक, माउंट रोड शाखा, प्रत्येक चेक को भरना

Rs.15,00,000/- की राशि के साथ उन्होंने मुझे उक्त राशि जमा करने के लिए कहा

संग्रह के लिए चेक उस समय जब वह निर्देश देता है, उस पर

बैंक अधिकारी ने कहा कि उनके खातों में पर्याप्त राशि है। कि पर्याप्त धन नहीं था। जब मैं राज कुमार से मिला,

षण्मुगम और अशोक कुमार ने कई बार अनुरोध किया

पैसे लौटाते हुए उन्होंने मुझे कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा।

जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए, वे मुझे बहुत परेशान करने लगे।

पैसे की माँग करना। अक्टूबर 2016 में, जब मैं मेसर्स सेंथिल से मिला था

बालाजी, उनके छोटे भाई अशोक कुमार और पी. ए. षण्मुगम

और राजकुमार, और उनसे पैसे वापस करने का अनुरोध किया,

मेरी दयनीय स्थिति समझाने के बाद, उनमें से हर एक ने कहा

कि वे राशि वापस नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा सकता है

उनके खिलाफ और अगर मैं उन्हें पैसे मांगने में परेशानी देता हूं,

वे मुझे मेरे परिवार के साथ समाप्त कर देंगे। मैं अपने दो बच्चों के साथ हर दिन घबराहट में जी रही हूं। थिरू सेंथिल के रूप में

बालाजी उस समय मंत्री थे और बाद में विधायक बने। सत्तारूढ़ दल, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में मेरी जान को खतरा पैदा करने वाली स्थिति अस्तित्व में थी। आई.

अब शिकायत देने के लिए आगे आया, क्योंकि वह नहीं ले रहा है

कोई भी पोस्ट। इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया शुरुआत करें। मेसर्स सेंथिल बालाजी, अशोक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई

कुमार, षण्मुगम और राज कुमार को उनके धोखाधड़ी के कृत्यों के लिए,

धोखा और मेरे खिलाफ जारी की गई धमकियाँ और प्राप्त करें

मुझे सभी द्वारा देय Rs.40,00,000/- की राशि वापस करें

उन्हें "।

(ii) एफ. आई. आर. भारतीय दंड संहिता की धारा 405,420,06 (1) (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत कथित अपराधों के लिए थी। चार व्यक्तियों द्वाराश्री सेंथिल बालाजी (तत्कालीन परिवहन मंत्री), श्री अशोक कुमार मंत्री के भाई), श्री शनमुगम (मंत्री के निजी सहायक) और श्री राज कुमार को प्राथमिकी में आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था।

(iii) जाँच के बाद, पुलिस ने दिनांकित एक अंतिम रिपोर्ट दायर की।

. 2019 Cr.P.C की धारा 173 (2) (i) के तहत, सभी चार अभियुक्तों के खिलाफ पी. धरमराज बनाम.

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित। अंतिम रिपोर्ट में व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 406,409,420,506 (1) के तहत कथित अपराधों के लिए अभियुक्त के रूप में नामित। तमिलनाडु के संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय ने 2021 के सीसी No.25 में फाइल पर अंतिम रिपोर्ट ली।

(iv) श्री षण्मुगम, जिनका नाम आरोपी संख्या 3 के रूप में है, ने फिर 2021 के आपराधिक ओ. पी. No.13374 में एक आपराधिक मूल याचिका दायर की।

मद्रास में उच्च न्यायालय ने Cr.P.C की धारा 482 के तहत 2021 की आपराधिक शिकायत CC No.25 को रद्द करने का अनुरोध किया। (v) उच्च न्यायालय के समक्ष, वास्तविक शिकायतकर्ता श्री के. अरुलमानी ने अभियुक्त का समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया और उसके लिए प्रार्थना की।

अंतिम रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द करना कि पीड़ितों के पास क्या था

अभियुक्त केवल एक धन विवाद था और इसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था और यह कि दो समूहों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण,

उसके द्वारा नहीं दिए गए अनुचित बयानों को शामिल करके उसकी शिकायत अधिक गंभीर हो गई।

(vi) जिन पीड़ितों ने मूल रूप से रोजगार प्राप्त करने के लिए धन का भुगतान करने का दावा किया था, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर किए।

(vii) एक ओर 13 पीड़ितों (जिन्होंने पैसे का भुगतान किया था) और दूसरी ओर अभियुक्त संख्या 3 के हस्ताक्षर वाला एक संयुक्त समझौता ज्ञापन भी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। (viii) जब रद्द करने की याचिका सुनवाई के लिए आई, तो राज्य की ओर से पेश विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने एक निवेदन किया कि

घटना वर्ष 2014 में हुई थी और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद वर्ष 2019 में आरोपी और पीड़ितों के बीच मामले में समझौता किया गया था। (ix) दिलचस्प बात यह है कि सभी 13 पीड़ित भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए और

दावा किया कि उनके और अभियुक्तों के बीच के मुद्दों को सुलझा लिया गया है।

(x) अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद जो हुआ उसके आलोक में, उच्च न्यायालय ने 30.07.2021 दिनांकित एक आदेश पारित किया जिसमें आपराधिक शिकायत इस आधार पर कि "समय बीतने के साथ, पक्षों ने अपनी साजिश को दफनाने का फैसला किया है और आपराधिक मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य हासिल नहीं होगा"।

2] 9 एस. सी. आर. को देखने के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xii) इस बीच, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नाम के एक संगठन ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक विविध याचिका दायर की इस आधार पर कि शिकायत में भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं और इसलिए पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आरोप पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता था, दिनांक 1 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई। वापस बुलाने के लिए इस आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, मुख्य रूप से इस आधार पर कि इस न्यायालय ने पहले से ही वापस बुलाए जाने के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार किया है।

6. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि कुछ अंतर्वर्ती आवेदन हैं जिनका विवरण इस प्रकार है - निम्नलिखित हैः

आई. ए. No.49555/2022 भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन द्वारा एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में हस्तक्षेप की मांग करते हुए दायर किया गया। धरमराज द्वारा दायर 2022 की सं. 1354;

❖अपीलार्थी द्वारा एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दायर आई. ए. No.59173/2022 2022 का No.1354, अभियुक्त के रूप में नामित चार व्यक्तियों को फंसाने के लिए।

1 (2017) 9 एस. सी. सी. 641

2 (2019) 2 एम. एल. जे. सी. आर. एल. 10 पी. धरमराज बनाम

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

❖अपीलार्थी द्वारा एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दायर आई. ए. No.59176/2022 2022 का No.1354 विशेष के रूप में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की मांग करता है

मुकदमा चलाने के लिए लोक अभियोजक।

आई. ए. नंबर। 126399 और 2022 का 126400 एक वाई. बालाजी द्वारा दायर किया गया, जो कंडक्टर/ड्राइवर के पद के लिए चयनित नहीं हुआ था। अभियोग और एक निष्पक्ष विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति।

❖आई. ए. No.108569/2022 श्री एस. पृथ्वीराजन द्वारा दायर किया गया, जो गैर-चयन के कारण पीड़ित होने का दावा करते हैं, खुद को पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए

विशेष अनुमति याचिका के लिए।

प्रतिद्वंद्वी विवाद

7. उच्च न्यायालय के आदेश को स्वीकार करते हुए, यह श्री सिद्धार्थ भटनागर और श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ द्वारा तर्क दिया जाता है

वकील ने कहा कि यह देखना चौंकाने वाला है कि इस तरह के मामले, जिसमें रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला एक साथ आ गए हैं, को एक समझौता ज्ञापन के आधार पर बंद करने की अनुमति दी गई है; कि मूल शिकायतकर्ता श्री अरुलमानी स्वयं महानगर परिवहन निगम के एक कर्मचारी थे और परिणामस्वरूप एक लोक सेवक थे; कि आरोप तत्कालीन परिवहन मंत्री को उनके निजी सहायक के माध्यम से महानगर परिवहन निगम में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए धन के भुगतान के इर्द-गिर्द घूमते थे; और इसलिए, उच्च न्यायालय ने एक समझौते के आधार पर शिकायत को रद्द करने में गंभीर अवैधता की, इस तथ्य के बावजूद कि आरोप पत्र में बताए गए अपराध भी शमनीय नहीं हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान 2021 के डब्ल्यू. पी. No.9061 में एक रिट याचिका में मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे की ओर आकर्षित किया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "पी. सी. अधिनियम") के तहत अभियोजन की गारंटी देते हैं और तर्क दिया कि जिस चौंकाने वाले तरीके से उच्च न्यायालय ने इसे संभाला था, वह विशेष ध्यान देने योग्य है, यदि विशेष उपचार नहीं।

8. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, जो 2 अपीलों में अपीलकर्ता है, की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष स्वयं पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को आरोप-पत्र में शामिल नहीं करने का दोषी था और अब भी अवसर है

Cr.P.C की धारा 216 के तहत अदालत को उपलब्ध उच्च न्यायालय द्वारा समझौते की अनुमति देने और शिकायत को रद्द करने के लिए शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाता है।

मंत्री के निजी सहायक के रूप में उनके साथ किसी भी संबंध से इनकार किया; कि दो अन्य व्यक्तियों द्वारा पहले आपराधिक ओ. पी. में याचिका दायर करके तत्कालीन परिवहन मंत्री (वर्तमान ए-1) के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाने का प्रयास किया गया था। (एम. डी.) नं. 2016 का 14067 और 14,967, पुलिस को शिकायत दर्ज करने और उसी की जांच करने का निर्देश देने की मांग करते हुए; कि उन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, 2016 के अपराध No.15 में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई; कि अभियुक्तों में से एक (परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक) ने तुरंत सीआरएल में एक रद्द याचिका दायर की। ओपी. (एम. डी.) नं. 2016 का 16023 जिसमें परिवहन मंत्री को भी आरोपित किया गया था; कि उन सभी 3 आपराधिक मूल याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी; कि एक अंतिम आदेश दिनांक 1 द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए निर्देश की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, लेकिन शिकायत को रद्द करने की याचिका को अनुमति दी गई थी; कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक ओ. पी. में 1 पर इस तरह से पारित सामान्य आदेश। (एम. डी.) सं. 14067 , 14967 और 2016 के 16023 को इस न्यायालय के समक्ष एक तीसरे पक्ष द्वारा विशेष के माध्यम से चुनौती दी गई थी अनुमति याचिकाएँ; कि 05.01.2017 दिनांकित एक आदेश द्वारा इस न्यायालय ने तीसरे पक्ष को विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया; कि 2016 में 2 व्यक्तियों द्वारा मंत्री को किसी तरह फंसाने का पहला प्रयास विफल रहा; और इसलिए, उच्च न्यायालय इस मामले में सही था, राजनीति में प्रतिद्वंद्वियों द्वारा अभियुक्त को पकड़ने के लिए बार-बार किए गए प्रयासों को रोकने में।

10. श्री अरुलमानी, जिनकी शिकायत पर 2018 के अपराध No.344 में एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी, की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा, 13.08.2018 पर पंजीकृत, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का भी समर्थन किया कि शिकायत में लगाए गए आरोप पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए मामला नहीं बनाते हैं; कि पी. धरमराज बनाम.

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

उच्च न्यायालय के समक्ष सभी तथाकथित पीड़ितों द्वारा दायर हलफनामों से यह स्पष्ट हो गया कि यह एक साधारण धन विवाद था; कि अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत किए गए आरोप राज्य के खिलाफ अपराध नहीं हैं, बल्कि भुगतान के संबंध में एक निजी विवाद के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

कि पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन से उत्पन्न होने वाले मामलों में भी, इस न्यायालय ने संजय तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य मामले में निर्णय दिया। 3 कि कोई तीसरा पक्ष, जो न तो पीड़ित है और न ही आरोपी है, आपराधिक कार्यवाही में अपनी नाक नहीं दबा सकता है; कि इसलिए, उपरोक्त अपीलों में अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है; और यह कि वास्तविक शिकायतकर्ता-श्री अरुलमानी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हलफनामे की सामग्री के आलोक में, उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष के अलावा कोई निष्कर्ष संभव नहीं है।

11. ए. 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. ए. सुंदरम ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि जिन अपीलकर्ताओं ने यह याचिका दायर की है

अदालत के पास व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं के कहने पर शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है; कि अपीलकर्ताओं ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की ओर से कुछ व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं और उनसे धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के बीच हुए समझौते को पूर्ववत करने के लिए हस्तक्षेप किया है; कि गैर-शमनीय अपराधों के मामले में भी पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक मामलों को बंद करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से; और यह कि चूंकि इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए गए हैं, इसलिए इसमें जनहित का कोई तत्व शामिल नहीं है। ए-1 के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अपीलार्थी पी. सी. अधिनियम के तहत दायर अन्य मामलों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहे हैं, ताकि पी. सी. अधिनियम के तहत आरोपों से संबंधित मामले में हुए समझौते को बाधित किया जा सके।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मनन कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि अपीलार्थियों का प्रयास

यह केवल मंत्री को परेशान करने के लिए है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, दो अन्य लंबित शिकायतें हैं जिनमें पी. सी. अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं। अपीलार्थी पहले ही उन आपराधिक शिकायतों के पक्षकारों के रूप में खुद को शामिल कर चुके हैं। इसलिए, श्री मनन कुमार मिश्रा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पूरी कवायद अनुचित है और जादू-टोना के शिकार के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ तक उन व्यक्तियों का संबंध है जो पीड़ित होने का दावा करते हैं संचालक/चालक के पद पर नियुक्ति के लिए उनका गैर-चयन है

3 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1027 [2022] 9 एस. सी. आर.

संबंधित, श्री मनन कुमार मिश्रा द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने पहले ही अपने गैर-चयन को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कर दी हैं और इसलिए उनका उपाय वर्तमान कार्यवाही में नहीं है। 13. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. प्रभाकरण ने तर्क दिया कि संबंधित मंत्री उस अलगाववादी समूह के सदस्य थे जिसने पिछले शासन के दौरान कार्यालय में बैठे लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था और इसलिए वर्तमान आपराधिक शिकायतें उनके कहने पर दर्ज की गई थीं।

राजनीतिक विरोधियों और यह कि वही समूह अब उसे निशाना बना रहा है क्योंकि वह वर्तमान शासन में फिर से मंत्री बने थे। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को इस खेल को देखना चाहिए

कानूनी बारीकियों से प्रभावित होने से पहले।

चर्चा और विश्लेषण

14. संक्षेप में, प्रतिद्वंद्वी विवाद तीन महत्वपूर्ण मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। वे इस प्रकार हैंः (i) अपीलार्थियों का स्थान; (ii) वास्तविक शिकायतकर्ता और 13 के बीच किए गए समझौते का प्रभाव। एक ओर पीड़ितों के नाम और दूसरी ओर चार अभियुक्त; और (iii) पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप पत्र में शामिल न करना।

लोकस स्टैंडी

15. अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र पर उत्तरदाताओं की प्रारंभिक आपत्ति को कई कारणों से पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। पहला यह है कि सहायक पुलिस आयुक्त, केंद्रीय अपराध शाखा, जॉब रैकेट विंग, चेन्नई द्वारा 2021 की रिट याचिका डब्ल्यू. पी. No.9061 में दायर जवाबी हलफनामे में उन्होंने घटनाओं के कुछ क्रम बताए हैं जो इस प्रकार हैंः

(i) 2013 की रिट अपील No.1027 में 09.06.2014 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार, सभी सरकारी विभागों में सभी नियुक्तियां उचित अधिसूचना के बाद ही करने का निर्देश दिया गया है।

प्रायोजन के अलावा समाचार पत्रों में जनता के लिए

रोजगार विनिमय, सरकार के सचिव,

रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों को 30.07.2014 पर एक पत्र भेजा है।

नियुक्तियों का;

(ii) सभी राज्य परिवहन उपक्रमों के सभी प्रतिनिधियों ने भविष्य में पी. धरमराज बनाम का संचालन करने के लिए 06.10.2014 पर आयोजित एक बैठक में संकल्प लिया।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

भर्ती की सूची प्राप्त करने के अलावा समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से खुले बाजार से आवेदन आमंत्रित करने के बाद ही

रोजगार विनिमय द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार;

(iii) इसके बाद, तत्कालीन परिवहन मंत्री (वर्तमान मामले में ए-1) थिरू सेंथिल बालाजी ने अधिकारियों को सभी 8 में भर्ती की दिन-प्रतिदिन की प्रगति के बारे में विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया।

राज्य के परिवहन निगम; (iv) इन संचारों को ई-मेल के माध्यम से मंत्री के कार्यालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया गया था और मेल बॉक्स का संचालन और रखरखाव श्री बी. षणमुगम द्वारा किया गया था, न कि किसी अन्य द्वारा।

मंत्री के व्यक्तिगत सहायक;

(v) भर्ती के लिए विज्ञापन समाचार पत्रों में जारी किए गए थे।

02.11.2014 पर। इसके साथ ही योग्य उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की गई

संबंधित रोजगार कार्यालयों से भी आमंत्रित; (vi) 03.11.2014 से 20.11.2014 की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को कुल 22602 आवेदन जारी किए गए थे;

(vii) ये 22,602 आवेदन आरक्षित क्रू ड्राइवर, आरक्षित क्रू कंडक्टर, जूनियर ट्रेडसमैन, जूनियर के पदों से संबंधित हैं।

इंजीनियर और सहायक इंजीनियर; (viii) प्राप्त आवेदनों में भरी गई कुल संख्या

उम्मीदवार 16081 थे;

(ix) लेकिन 12765 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार में भाग लिया; (x) 2209 उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे

(xiii) उन उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे जिनके नाम परिवहन मंत्री द्वारा भेजी गई सूची में शामिल थे। उनके सहयोगी षण्मुगम।

16. संबंधित रिट याचिका में दायर किए गए प्रत्यावेदन अधिकारी के जवाबी हलफनामे से जो ऊपर निकाला गया है, उससे यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी के अनुसार, जो व्यक्ति पैसे होने का दावा करते हैं, लेकिन नियुक्ति के आदेश प्राप्त नहीं करते हैं, वे पीड़ित नहीं थे। ऐसे व्यक्ति जो अधिक मेधावी थे, लेकिन जिन्होंने [2022] 9 एस. सी. आर. नहीं किया।

यदि वे आरोप अंततः साबित हो जाते हैं, तो उन उम्मीदवारों द्वारा चुने जाने के कारण, जिन्होंने पैसे का भुगतान किया और चुने गए, वे भी कथित भ्रष्ट प्रथाओं के शिकार हैं। श्री पी. धरमराज, जो इन अपीलों में से एक में अपीलार्थी हैं, चयन में भाग लेने वाले उम्मीदवार होने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। श्री पृथ्वीराजन नाम के एक मध्यस्थ भी हैं जो 2021 के डब्ल्यू. पी. No.9061 में याचिकाकर्ता थे, जिसमें पिछले पैराग्राफ में संदर्भित जवाबी हलफनामा जांच अधिकारी द्वारा दायर किया गया था। इस उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया था और उनके अनुसार, यदि संबंधित की ओर से कोई भ्रष्ट आचरण नहीं होता तो उनका चयन हो जाता।

17. यहां तक कि प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील भी इस स्थिति का विरोध नहीं कर सके कि एक पीड़ित उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का हकदार है। यदि वे व्यक्ति जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अपनाई गई कथित भ्रष्ट प्रथाओं के कारण चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में जगह नहीं बना सके, वे पीड़ित नहीं हैं, तो हम नहीं जानते कि और कौन पीड़ित हो सकता है।

18. हम इस तथ्य से पीछे नहीं हट सकते कि जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और जिन्हें सरकारी/सार्वजनिक निगमों में पदों पर नियुक्त किया जाता है

भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाकर, अंततः सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए बुलाए जाते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता उनके द्वारा अपनाई जाने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के विपरीत अनुपात में होगी। इसलिए, जनता, जो इन सेवाओं के प्राप्तकर्ता हैं, वे भी पीड़ित हो जाते हैं, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि

इस तरह की नियुक्तियों के परिणाम जल्द या बाद में दिखाई देते हैं

नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। इसलिए, यह कहना कि अपीलार्थियों का कोई अधिकार नहीं है, जो स्पष्ट है, उसके अस्तित्व से इनकार करना है। 19. वास्तविक शिकायतकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने संजय तिवारी (उपरोक्त) मामले में जिस निर्णय पर भरोसा किया है, वह है -

हाथ में मामले के लिए कोई आवेदन नहीं। संजय तिवारी के मामले में अपील आई. पी. सी. की धारा 420,467,468,471,477 ए, 120 बी और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) (डी) के तहत कथित अपराधों के लिए विशेष न्यायाधीश, गोरखपुर की फाइल पर लंबित आपराधिक मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक आवेदन से उत्पन्न हुई। मुकदमे में तेजी लाने के लिए उक्त आवेदन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जो न तो पीड़ित था न ही अभियुक्त। इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि एक व्यक्ति जिसका लंबित मुकदमे से कोई लेना-देना नहीं है, वह मुकदमे में तेजी लाने की मांग नहीं कर सकता है, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 से 15, जिस पर भारी निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार हैः

पी. धरमराज बनाम। षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

" 11. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आपराधिक मुकदमा जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं, उन्हें जल्द से जल्द संचालित और समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध ऐसे अपराध हैं जो न केवल आरोपी बल्कि पूरे समाज और प्रशासन को प्रभावित करते हैं। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि उच्च न्यायालय उचित मामलों में धारा 482 Cr.P.C के तहत बहुत अच्छी तरह से मुकदमा चला सकता है या किसी अन्य कार्यवाही में हमेशा मुकदमे का निर्देश दे सकता है।

न्यायालय आपराधिक मुकदमे में तेजी लाए और ऐसा आदेश जारी करे जो आवश्यक हो। लेकिन वर्तमान एक ऐसा मामला है जहाँ कार्यवाही शुरू हुई

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा एक प्रामाणिक कार्यवाही प्रतीत नहीं होती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से कोई संबंध नहीं है। उत्तरदाता सं. 2 अपने लेख में

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन। पी. सी. ने पैराग्राफ 6 में उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता और एक अधिवक्ता के रूप में वर्णित किया है। एक व्यक्ति द्वारा आवेदन

जो धारा 482 Cr.P.C के तहत आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे से किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है, उस पर आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त पर आपराधिक मुकदमा आपराधिक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलाया जाता है।

प्रक्रिया संहिता। यह राज्य और अभियोजन पक्ष का दायित्व है

यह सुनिश्चित करना कि सभी आपराधिक मुकदमे तेजी से चलाए जाएं ताकि दोषी पाए जाने पर आरोपी को न्याय मिल सके। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां अभियोजन पक्ष या यहां तक कि अभियुक्त के नियोक्ता ने या तो निचली अदालत के समक्ष या किसी अन्य अदालत में आवेदन दायर किया है, जिसमें धारा 482 Cr.P.C के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने आवेदन में अनुरोध के अनुसार निर्देश की मांग की गई है। 12. आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने या अभियुक्त की आपराधिक कार्यवाही के संबंध में राहत लेने के लिए किसी तीसरे पक्ष के अधिकार क्षेत्र के संबंध में इस न्यायालय जनता दल बनाम द्वारा निपटा गया था। एच. एस. चौधरी, (1991) 3 एससीसी 756। उपरोक्त मामले में सी. बी. आई. ने आई. पी. सी. के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत 14 अभियुक्तों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की थी। सी. बी. आई. द्वारा दायर एक आवेदन पर विद्वत विचारण न्यायाधीश ने आवेदन को इस हद तक अनुमति दी कि आवश्यक जांच करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने का अनुरोध किया जाए जिसे स्विट्जरलैंड में एकत्र किया जा सकता है।

05.02.1990 पर आदेश जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" नतीजतन, सी. बी. आई. के आवेदन को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि आवश्यक जांच करने का अनुरोध किया जाता है।

और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो [2022] 9 एस. सी. आर. में एकत्र किए जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्विट्जरलैंड और इस क्रम में निर्देशित सीमा तक

के सक्षम न्यायिक प्राधिकरणों को दिया गया

स्विटजरलैंड का परिसंघ आवश्यक/फाइलिंग के माध्यम से

स्विस कानून और आश्वासन द्वारा आवश्यक उचित उपक्रम

पारस्परिकता के लिए "।

13. श्री एच. एस. चौधरी द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न प्रार्थनाओं की मांग करते हुए एक आपराधिक विविध आवेदन दायर किया गया था जिसे विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। धारा 397/482 सी. आर. के तहत एक आपराधिक संशोधन। पी. सी. एच. एस. द्वारा दायर किया गया था। चौधरी ने विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में

जिस संशोधन को उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था।

एच. एस. चौधरी सहित विभिन्न पक्षों द्वारा इस अदालत में अपील दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आदेश को चुनौती दी गई थी। यह अदालत जबकिएच. एस. चौधरी और अन्य लोगों द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 26. भले ही कानून का लाखों सवाल गहराई से हो

इस प्रकार के आपराधिक मामले में जांच की गई निर्दिष्ट अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज, यह उनके लिए है

और अकेले उन्हें ऐसे सभी सवाल उठाने और चुनौती देने के लिए

उचित मंच के समक्ष उचित समय पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई न कि तीसरे पक्ष के लिए जनहित याचिकाकर्ता।

" 27. हम, मामले की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपने चिंतित और श्रमसाध्य विचार और सावधानी बरतने के बाद

मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया और गहराई से जांच की

सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवाद हमारे निष्कर्ष इस प्रकार दें:

1. श्री एच. एस. चौधरी के पास एक जनहित याचिकाकर्ता के रूप में अनुच्छेद 51 ए के तहत याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि सी. बी. आई. के अनुरोध पर कोई अनुरोध पत्र जारी नहीं किया जाए और उन्हें विशेष अदालत के समक्ष जांच में शामिल होने की अनुमति दी जाए, जिसने <आई. डी. 1] के सक्षम न्यायिक अधिकारियों को अनुरोध पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

स्विट्जरलैंड परिसंघ; (बी) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के साथ पठित 401 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र को लागू करना, जिसमें शुद्धता, वैधता या

विशेष न्यायाधीश के 18.8.90 दिनांकित आदेश का औचित्य; और (सी) उच्च पी. धरमराज बनाम की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करना।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अदालत ने दिनांकित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए और इसके दुरुपयोग को रोकने की याचिका पर उससे संबंधित अन्य सभी कार्यवाहियों के लिए

न्यायालय की प्रक्रिया।

28. परिणामस्वरूप, हम श्री न्यायमूर्ति एम. के. चावला के दिनांकित आदेश के पहले भाग से सहमत हैं, जिसमें कहा गया है कि श्री एच. एस.

चौधरी और अन्य हस्तक्षेप करने वाले दलों का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, हमने विवादित आदेश के दूसरे भाग को दरकिनार कर दिया है, जिसमें उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य और सी. बी. आई. को कारण बताएँ नोटिस जारी किया है और तदनुसार उनके द्वारा जारी कारण बताएँ नोटिस को रद्द कर दिया गया है।

14. इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह निर्धारित किया कि आपराधिक मामले में पक्षकारों को सभी प्रश्न उठाने चाहिए और उचित मंच के समक्ष उचित समय पर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देनी चाहिए, न कि जनता के कब्जे में तीसरे पक्ष के लिए।

ब्याज याचिकाकर्ता।

15. हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 को वर्तमान मामले में धारा 482 Cr.P.C के तहत आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। हम पहले से ही

यह पाया गया कि सभी आपराधिक मुकदमे जहां अपराध शामिल हैं

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए और आम तौर पर उच्च न्यायालय के आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है जिसमें निचली अदालत को आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया हो, लेकिन वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कार्यवाही शुरू की गई है जो किसी भी तरह से कार्यवाही से संबंधित नहीं था और प्रतिवादी संख्या 2 का कोई अधिकार नहीं है। आवेदन दायर करने के लिए जो स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य नहीं था, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय दिनांकित था

09.09.2020 इसे कायम नहीं रखा जा सकता "।

20. इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 11 में केवल इतना ही बताया कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मुकदमे में तेजी लाने के लिए एक आवेदन, जो किसी भी तरह से आपराधिक कार्यवाही से जुड़ा नहीं है।

छोटे मुकदमे पर "आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।"

21. जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी और अन्य में निर्णय

संजय तिवारी के पैराग्राफ 12 और 13 में भी कोई आवेदन नहीं है। जनता दल (ऊपर) में, जो बोफोर्स से उभरा

एससीसी 756 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशेष अदालत ने स्विट्जरलैंड में आवश्यक जांच करने और आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने के लिए सी. बी. आई. के एक आवेदन को अनुमति दी। एक अनुरोध पत्र भी जारी किया गया था। उस समय एच. एस. चौधरी नाम के एक अधिवक्ता ने विशेष अदालत के समक्ष जनहित में याचिका दायर की थी।

न्यायाधीश, संविधान के अनुच्छेद 51 ए का आह्वान करते हुए। उन्होंने कई राहतों की मांग की, जिसमें अनुरोध पत्र जारी नहीं करने का निर्देश और उन्हें जनहित याचिकाकर्ता के रूप में विशेष अदालत के समक्ष जांच में शामिल होने की अनुमति देना शामिल है। विशेष अदालत ने एच. एस. चौधरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इस सवाल पर विचार करने के लिए स्वतः संज्ञान लिया कि क्या Cr.PC की धारा 340 के तहत कोई कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए या नहीं। विशेष न्यायाधीश के आदेश को एच. एस. चौधरी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि एच. एस. चौधरी के पास याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह वह आदेश था जिसे एच. एस. चौधरी ने इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। विशेष न्यायाधीश द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के आदेश को भी राजनीतिक दलों ने चुनौती दी थी। 22. उन अपीलों का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामले में किसी तीसरे पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए

कि एच. एस. चौधरी द्वारा किया गया प्रयास सी. बी. आई. द्वारा अनुरोध पत्र जारी करने के लिए शुरू किए गए कदम को परेशान करने के लिए था। वह यह भी चाहते थे कि एफ. आई. आर. को रद्द किया जाए। यह उस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने उपरोक्त स्थान के प्रश्न का उत्तर दिया। 23. आज हमने उस समय की कानून की स्थिति से एक लंबा सफर तय किया है। 2009 के अधिनियम 5 द्वारा, "पीड़ित" शब्द की परिभाषा को Cr.P.C की धारा 2 (डब्ल्यू. ए.) में डाला गया था।

" "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और "पीड़ित" अभिव्यक्ति में उसका व्यक्ति भी शामिल है।

या उसके संरक्षक या कानूनी उत्तराधिकारी।

साथ ही, धारा 372 के तहत एक परंतुक भी जोड़ा गया था।

पीड़ितों को अपील करने का अधिकार प्रदान करने वाली संहिता। 24. वास्तव में, उपरोक्त संशोधन से बहुत पहले, इस न्यायालय द्वारा पी. एस. आर. साधनानथम में लोकस स्टैंडी के प्रश्न पर विचार किया गया था।

बनाम अरुणाचलम और अन्य। उक्त मामला विचित्र परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ। एक व्यक्ति जिसे सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था

धारा 302 के तहत एक अपराध और जिसकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था 5 (1980) 3 एस. सी. सी. 141 पी. धरमराज बनाम।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

उच्च न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा एक आपराधिक अपील में दोषी ठहराया गया था, जो राज्य द्वारा नहीं, बल्कि पीड़ित के भाई द्वारा दायर की गई थी, हालांकि वह न तो शिकायतकर्ता था और न ही पहला सूचना देने वाला। इसके बाद, अभियुक्त ने अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि इस न्यायालय के पास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए पीड़ित के भाई को विशेष अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। इस तर्क को खारिज करते हुए, माननीय न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर (जैसा कि वे उस समय थे) ने अपनी अनूठी शैली में कहाः

..... अनुच्छेद 136 के तुच्छ आह्वान के माध्यम से विरोधियों को ब्लैकमेल करने वाले व्यस्त निकायों का शोरगुल आश्चर्यजनक है। जनहित याचिका, वर्ग कार्रवाई, निःशुल्क कार्यवाही आदि के रूप में भी प्रत्येक प्रामाणिक साधक के लिए न्याय तक पहुंच उपचारात्मक न्यायशास्त्र का एक लोकतांत्रिक आयाम है। हम प्रक्रियात्मक अप्रचलन के घर में नहीं रह सकते जब हमारे

संविधान सामाजिक न्याय को एक लक्ष्य के रूप में उजागर करता है।

इसलिए, अपीलार्थियों के स्थान के बारे में आपत्ति बिना किसी योग्यता के है। किसी भी मामले में, इन अपीलों में से एक में अपीलार्थी पीड़ित है, क्योंकि वह कथित भ्रष्ट प्रथाओं के कारण चुना नहीं जा सका था। इसलिए, अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के बारे में विवाद को खारिज किया जाना चाहिए।

25. वास्तव में, यह आश्चर्य की बात है कि वास्तविक शिकायतकर्ता श्री अरुलमानी ने लोकस स्टैंडी का सवाल उठाया है। यह उसके द्वारा देखा जाता है

समझौता का समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर करने और उसमें दावा करने की दूसरी गलती जैसे कि उन्होंने मंत्री के खिलाफ कभी आरोप नहीं लगाए। 26. अरुलमानी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लिया गया रुख एक और कारण से निंदनीय है। एफ. आई. आर. में एक प्रविष्टि से यह देखा जाता है कि अरुलमानी ने सी. आर. एल. में एक आपराधिक मूल याचिका दायर की है, जिसमें से वर्तमान मामला सामने आता है। O.P.No। 2017 का 24029 उच्च न्यायालय की फाइल पर, शिकायत करते हुए कि उन्होंने इन 4 अभियुक्तों के खिलाफ 21.09.2017 पर शिकायत दर्ज की और कोई कार्रवाई नहीं की गई। 16.11.2017 पर, उच्च न्यायालय ने पुलिस को ललिता कुमारी बनाम सरकार [2022] 9 एस. सी. आर. मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया।

2018 के अपराध संख्या 344 में 13.08.2018 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसलिए, हमें शायद ही श्री अरुलमानी से यह कहने की उम्मीद थी कि मंत्री के खिलाफ आरोप बाद में पुलिस द्वारा जोड़े गए थे और यह एक साधारण धन विवाद था। अभियुक्त के समर्थन में उसका वर्तमान रुख और अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाना, कम से कम कहने के लिए, चौंकाने वाला है और केवल निंदा से कुछ अधिक का समर्थन करता है। हम इसे इस उम्मीद पर छोड़ते हैं कि नियोक्ता और राज्य उसके आचरण पर ध्यान देंगे। यह हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए कहने के लिए पर्याप्त है कि आपत्ति

अपीलार्थियों के लोकस स्टैंड से संबंधित अस्वीकृत होने योग्य है। तदनुसार, इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

समझौते का प्रभाव और पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल न करना

27. विचार के लिए उत्पन्न होने वाला दूसरा मुद्दा वास्तविक शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते के प्रभाव के बारे में है।

13 एक ओर पीड़ितों का नाम और दूसरी ओर 4 अभियुक्तों का नाम।

28. जैसा कि हमने पहले बताया है, प्राथमिकी केवल आईपीसी की धारा 405,420 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। यह इस तथ्य के बावजूद था कि शिकायत में निहित आरोप बहुत स्पष्ट रूप से जनता में रोजगार की खरीद के लिए धन के भुगतान की ओर इशारा करते हैं। परिवहन निगम। हम ऊपर दिए गए पैराग्राफ 5 (i) में पूरी शिकायत पहले ही निकाल चुके हैं। उक्त शिकायत में कहा गया था कि वर्ष 2014 में परिवहन निगम में कंडक्टर और ड्राइवर के रिक्त पदों को भरने की घोषणा की गई थी और शिकायतकर्ता का परिचय श्री राजकुमार से हुआ था। वास्तव में शिकायत में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में शिकायतकर्ता उक्त राजकुमार के साथ आर. ए. पुरम में थिरु सेंथिल बालाजी के आवास पर गया था और उसमें मंत्री को श्री षणमुगम, पी. ए. को 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उनके आग्रह पर, उन्हें मंत्री और उनके भाई से मिलने की अनुमति दी गई और मंत्री और उनके भाई ने उन्हें आश्वासन दिया कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, उन्हें निश्चित रूप से नियुक्ति के आदेश दिए जाएंगे।

29. यह याद रखना चाहिए कि हालाँकि एफ़. आई. आर. केवल 13.08.2018 पर दर्ज की गई थी, लेकिन यह वास्तव में उनके द्वारा पारित एक आदेश के अनुसरण में थी।

सी. आर. एल. में 16.11.2017 पर उच्च न्यायालय। 2017 का ओ. पी. सं. 24029। इसलिए, 6 (2014) 2 एस. सी. सी. 1 पी. धरमराज बनाम।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

पी. सी. अधिनियम, 1988 30. अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते समय, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच अधिकारी ने आई. पी. सी. की धारा 409 को शामिल करके थोड़ा अधिक उदारता दिखाई है।

शनमुगम, शिकायतकर्ता और पीड़ितों से पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मंत्री का निजी सहायक बताया गया था। इसके अतिरिक्त, कहा जाता था कि पैसे का भुगतान उनके आवास पर किया गया था

मंत्री को अपनी जानकारी के साथ और मंत्री को (एफ. आई. आर. में) यह स्वीकार करने के लिए कहा गया है कि जिन लोगों ने धन का भुगतान किया है उन्हें नियुक्ति आदेशों से पुरस्कृत किया जाएगा। 31. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंतिम रिपोर्ट में आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 406,409,420 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए फंसाया गया है। आई. पी. सी. की धारा 506 के तहत अपराध को छोड़कर इनमें से कोई भी अपराध धारा 320 की उप-धारा (1) के तहत शमनीय नहीं है। धारा 406 और 420 के तहत अपराध धारा 320 की उप-धारा (2) के तहत शमनीय हैं।

32. धारा 320 की उप-धारा (9) यह स्पष्ट करती है कि धारा द्वारा दिए गए प्रावधान के अलावा कोई भी अपराध चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा। इसलिए वहाँ आई. पी. सी. की धारा 409 के तहत अपराध किसी भी तरह से नहीं था, जिसे अंतिम में शामिल किया गया था।

रिपोर्ट, जटिल हो सकती थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के अंतिम पैराग्राफ में मान्यता दी है कि अंतिम रिपोर्ट में ऐसे अपराध शामिल हैं जो शमनीय नहीं हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कथित रूप से इस न्यायालय द्वारा परबतभाई अहीर @परबतभाई (ऊपर) और मध्य प्रदेश राज्य (ऊपर) में जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए अब हम इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या उच्च न्यायालय ऐसा करने में सही था। 33. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य मामले में, इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ दो सदस्यीय पीठ द्वारा दिए गए एक संदर्भ से संबंधित थी, जिसने बी. एस. में निर्णयों की शुद्धता पर संदेह किया था। जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और Anr.º और मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य।

और 406। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। 7 (2012) 10 एससीसी 303

8 (2003) 4 एस. सी. सी. 675

9 (2008) 9 एस. सी. सी. 677 1 0 (2008) 16 एससीसी 1 [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. निखिल मर्चेंट (ऊपर) एक ऐसा मामला है जहाँ एक उधारकर्ता

आंध्र बैंक से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक। धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के अलावा, बैंक ने कंपनी के अधिकारियों और उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज की।

बैंक के अधिकारी, न केवल आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए बल्कि पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए भी। मुक़दमे से समझौता होने के बाद, उधारकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक ने छुट्टी पाने की मांग की

शिकायत से। विशेष न्यायाधीश (सी. बी. आई.) ने आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि की। लेकिन इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को केवल इस आधार पर उलट दिया कि बैंक को देय राशि का निपटारा हो गया था। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निखिल मर्चेंट में, इस न्यायालय के आदेश के संचालन भाग में केवल यह कहा गया था कि अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी रद्द कर दी गई थी।

120 बी आई. पी. सी. यद्यपि इस न्यायालय ने उक्त मामले में आपराधिक शिकायत को भी रद्द कर दिया, लेकिन पीठ का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों में से एक (मार्कण्डेय काटजू, जे.) ने धारा 482 Cr.P.C या अनुच्छेद के तहत गैर-शमनीय मामलों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में सवाल सुरक्षित रखा। 226 संविधान के अनुसार, पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर, एक उचित समय पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना है। मनोज शर्मा के फैसले के पैराग्राफ 27 में मार्कंडेय काटजू, जे. की राय इस प्रकार है:

" 27. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आई. पी. सी. की धारा 302 या अन्य गंभीर अपराधों जैसे कि धारा 395,307 या 304 बी के तहत एक मामला चक्रवृद्धि नहीं किया जा सकता है और इसलिए उन मामलों में कार्यवाही की जा सकती है।

उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए या समझौते के आधार पर रिट अधिकार क्षेत्र में प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कुछ अन्य मामलों में, (जैसे कि नागरिक प्रकृति के समान) उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि पक्षकार एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर आ गए हैं, भले ही प्रावधान शमनीय न हों। जहाँ एक रेखा खींची जानी है

इस न्यायालय के कुछ बाद के फैसलों में निर्णय लेना होगा, अधिमानतः एक बड़ी पीठ द्वारा (ताकि इसे और अधिक आधिकारिक बनाया जा सके)। इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे और मामले को न्यायाधीशों के एकमात्र निर्देशित विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है, पी. धरमराज बनाम।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अन्यथा परस्पर विरोधी निर्णय और न्यायिक अराजकता हो सकती है। न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग कुछ वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानदंडों पर किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत न्यायाधीशों की सनक और इच्छाओं पर। आखिरकार विवेकाधिकार कुलाधिपति का नहीं हो सकता।

पैर "।

37. अतः ज्ञान सिंह (उपर्युक्त) मामले में न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में प्रश्न पर विचार किया है -किसी शिकायत/आरोप को निरस्त करने की अदालत की शक्ति और किसी अपराध को चक्रवृद्धि करने की शक्ति के बीच संबंध। इस न्यायालय के वैधानिक निर्णयों और विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने ज्ञान सिंह में अपने निर्णय के पैराग्राफ 61 में इस कथन का सारांश इस प्रकार दियाः

" उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति सामने आती है, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या एफ. आई. आर. या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को बढ़ाने के लिए आपराधिक न्यायालय को दी गई शक्ति से अलग और अलग है। अंतर्निहित शक्ति की कोई वैधानिक सीमा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए।

ऐसी शक्ति में निहित; (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में

आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, यह दोनों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

अधिनियम या लोक सेवकों द्वारा उस क्षमता में काम करते समय किए गए अपराध आदि ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए किसी भी आधार का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपराधिक मामले जिनमें अत्यधिक और पूर्व-प्रधान रूप से नागरिक स्वाद होता है, विशेष रूप से रद्द करने के उद्देश्यों के लिए एक अलग आधार पर खड़े होते हैं। वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, [2022] 9 एस. सी. आर. से उत्पन्न होने वाले अपराध।

साझेदारी या इस तरह के लेन-देन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित होगा या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना पीड़ित और गलत करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होगा।

और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (ओं) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होगा।

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र "।

38. ज्ञान सिंह के बाद, यह न्यायालय नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराधों से जुड़े मामलों के संबंध में एक चरम से दूसरे चरम पर झूलने वाली अदालतों की बारहमासी समस्या से संबंधित था। उक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा मीडिया के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को लगी चोट की प्रकृति, उपयोग किए गए हथियारों की प्रकृति आदि में जाने का अधिकार होगा। यह अभिनिर्धारित करने के बाद था कि धारा के तहत एक अपराध है

307 यह जघन्य और गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। 39. इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम विक्रम अनंत राय दोशी के माध्यम से निर्णय लिया गया और

अन्य 1 2, जहां यह न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 120बी के साथ पठित धारा 406,420,467,468 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश से संबंधित था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाएं और ऋण चुकाने में उधारकर्ताओं की विफलता शामिल थी। बैंक को देय ऋण एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पक्ष में सौंपे जाने के बाद, एक समझौता किया गया और उधारकर्ता ने "नो ड्यू सर्टिफिकेट" लिया।

1 11 (2014) 6 एस. सी. सी. 466 12 (2014) 15 एस. सी. सी. 29 पी. धरमराज बनाम।

षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

इसलिए, मदन मोहन मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए

मठाधीश बनाम पंजाब राज्य 1.3 और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम ए. रविशंकर प्रसाद और अन्य ", बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया कि मामले को मुकदमे के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मदन मोहन (उपरोक्त), जैसा कि आदेश के अंतिम पैराग्राफ से देखा जाता है, मामले के विशिष्ट तथ्यों में पारित किया गया था। लेकिन जहां तक ए. रविशंकर प्रसाद (उपरोक्त) का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उधारकर्ताओं और इंडियन बैंक के बीच हुए समझौते के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया। लेकिन इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने B.S.Joshi और निखिल मर्चेंट पर ध्यान देने के बाद भी उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया। अपने फैसले के पैराग्राफ 46 में, इस अदालत ने ए. रविशंकर प्रसाद में कहाः

" 46. मामला छोड़ने से पहले हम यह देखना चाहेंगे कि एक समझौते के तहत केवल ऋण का पुनर्भुगतान इस मामले के तथ्यों में आरोपी को आपराधिक कार्यवाही से छूट नहीं दे सकता है।

40. इसलिए, विक्रम अनंत राय दोशी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों पर ध्यान दिया और पैराग्राफ 26 में निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 26. हम उपरोक्त दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक से धन का लाभ उठाना, जैसा कि जांच एजेंसी द्वारा आरोप लगाया गया है, राजकोषीय अशुद्धता और एक तरह से वित्तीय धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आरोप-पत्र में वर्णित कार्यप्रणाली को किसी व्यक्तिगत या व्यक्तिगत गलती के डिब्बे में नहीं रखा जा सकता है। यह एक सामाजिक गलती है और इसका सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक है। यह वित्त को संभालने का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब भी हेरफेर और चतुराई हो
इस प्रकार के लाभों का लाभ उठाने के लिए कल्पना की गई साजिश को अत्यधिक और प्रमुख रूप से नागरिक चरित्र वाला मामला नहीं माना जा सकता है। अंतिम शिकार सामूहिक होता है। यह समाज के वित्तीय हित में खतरा पैदा करता है। की गंभीरता

अपराध राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ में सेंध लगाता है। चतुराई जो कुशलता से रची गई है, अगर आरोप

यह सच है, इसका गंभीर परिणाम होता है। हमारे विचार में इस तरह का अपराध निश्चित रूप से उन अपराधों की श्रेणी में आता है जो व्यक्तिगत या निजी गलतियों से बहुत आगे जाते हैं। इसमें आर्थिक संकट की शुरुआत करने की क्षमता है। इसके निहितार्थ की अपनी गंभीरता है,

13 (2008) 4 एस. सी. सी. 582 14 (2009) 6 एससीसी 351 [2022] 9 एस. सी. आर.

क्योंकि यह वित्तीय लेन-देन में अपेक्षित गंभीरता में एक असंगति पैदा करता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई राशि का भुगतान कर सकता है और "बकाया नहीं प्रमाण पत्र" प्राप्त कर सकता है और हाइपोस्टेसिस पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का लाभ उठा सकता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं।

करना बाकी है। जिस सामूहिक हित का न्यायालय संरक्षक है, वह कार्यवाही को वापस लेने की अनुमति देने के लिए एक मूक या मूक दर्शक नहीं हो सकता है, या उस मामले के लिए

अभियुक्त व्यक्तियों की कुशल निपुणता का आह्वान करने के लिए

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या धारा के तहत अधिकार क्षेत्र

482 संहिता का उल्लंघन करें और कार्यवाही को रद्द करें। यह कानूनी नहीं है। अनुमति है। उम्मीद की जाती है कि न्यायालय इस तरह के कुशल कदमों से सावधान रहेगा। हम विनम्रता से याद दिलाते हैं कि उच्च न्यायालय को

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के मामले में

मुकदमेबाजी जब अभियुक्त को सफलता की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सहज रूप से अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया जाता है। अदालत का प्रमुख कर्तव्य, उस समय, आरोपों के जोर और समझौते के सार का पता लगाने के लिए पूरे तथ्यों की जांच करना होना चाहिए। यह न्यायाधीश का अनुभव है जो उसकी सहायता के लिए आता है और उक्त अनुभव का उपयोग सावधानी, सावधानी, सावधानी और साहसी विवेक के साथ किया जाना चाहिए। जैसा कि हम मामले में पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने तथ्यों के पूरे परिप्रेक्ष्य की उचित परिप्रेक्ष्य में जांच करने के लिए बहुत मेहनत नहीं की है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। उक्त निरस्तीकरण न तो न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने में मदद करता है और न ही यह अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकता है और न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि कोई समझौता है, कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आएगा और दोषसिद्धि की बहुत कम संभावना होगी। हमारे विचार में इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करना मुश्किल होगा। जो भी हो, तथ्य यह है कि सामाजिक हित खतरे में होगा और इन परिस्थितियों में अभियोजन एजेंसी को पूरे मामले के लिए एक विदेशी के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हमारे पास यह मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आदेश [विक्रम अनंतराई] दोशी वी। महाराष्ट्र राज्य, 2009 का आपराधिक आवेदन संख्या 2239, उच्च न्यायालय का दिनांकित 22-4-2010 (BOM)] आदेश पूरी तरह से अक्षम्य है।

41. उच्च न्यायालय द्वारा अप्रकाशित आदेश में निर्दिष्ट पर्वतभाई अहीर (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने पैराग्राफ 16 में इस प्रश्न पर सड़क सिद्धांतों का सारांश दिया। अनुच्छेद 16.6

6.8 निर्णय के 16.10 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

पी. धरमराज बनाम। षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

" 16.6 . धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और एक याचिका पर विचार करते हुए कि विवाद का निपटारा कर दिया गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद को सुलझा लिया है। इस तरह के अपराध, वास्तव में, निजी प्रकृति के नहीं हैं, लेकिन समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। ऐसे मामलों में मुकदमा जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के प्रमुख तत्व पर आधारित है।

16.8 . अपराधों से जुड़े आपराधिक मामले जो उत्पन्न होते हैं

वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इसी तरह की

अनिवार्य रूप से नागरिक स्वाद के साथ लेनदेन उचित हो सकता है।

जहां पक्षों ने विवाद को सुलझा लिया है, ऐसी स्थितियां रद्द करने के लिए आती हैं।

16.9 . ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवादियों के बीच समझौते को देखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना कम है और आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह पैदा होगा; और 16.10 . प्रस्ताव 16.8 में दिए गए सिद्धांत में अभी भी एक अपवाद है। और 16.9। ऊपर। राज्य के वित्तीय और आर्थिक कल्याण से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ ऐसे हैं जो निजी विवादियों के बीच केवल विवाद के क्षेत्र से परे हैं। जहां अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुराचार जैसी गतिविधि में शामिल है, वहां उच्च न्यायालय को रद्द करने से इनकार करना उचित होगा। वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर शिकायत किए गए अधिनियम के परिणाम संतुलन में वजन करेंगे।

42. इस प्रकार कानून की प्रगति से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को धारा 482 Cr.PC या अनुच्छेद के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भी जाना पड़ता है।

दांडिक कार्यवाहियों को निरस्त करने के मामले में संविधान की धारा ई पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर, जब सी. ई. एस. न केवल शिकायतकर्ता पर बल्कि दूसरों पर भी प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था।43. जैसा कि इस मामले में दायर अंतिम रिपोर्ट और आई. ओ. द्वारा दायर जवाबी कार्रवाई से देखा गया है, जिन व्यक्तियों ने परिवहन निगम में भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाया है, वे दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् (i) जिन्होंने धन का भुगतान किया और (2022) 9 एस. सी. आर. के आदेश प्राप्त किए।

नियुक्ति; और (ii) वे लोग जिन्होंने धन का भुगतान किया लेकिन रोजगार प्राप्त करने में विफल रहे। यदि दूसरी श्रेणी के व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है

धन की वापसी लेकर उनके विवाद का निपटारा करें, वही पहली श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति पर अनुमोदन की मुहर लगाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय को समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करना चाहिए था।

44. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक लोक सेवक द्वारा किया गया भ्रष्टाचार राज्य और बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ एक अपराध है। अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

आधिकारिक पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट प्रथाओं को अपनाने से जुड़े मामलों से निपटें, जैसे कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे, जहां भुगतान किए गए धन की वापसी भी समझौते धारक को संतुष्ट कर सकती है। इसलिए हम मानते हैं

कि उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने में पूरी तरह से गलती की थी। 45. पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों की अंतिम रिपोर्ट में गैर-समावेशन के संबंध में अगले मुद्दे पर आते हुए, जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर होगा। गैर-चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर 2021 की रिट याचिका (आई. डी. 1) के लिए आई. ओ. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में आरोपी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमने इस फैसले में इस तरह के जवाबी हलफनामे की सामग्री का एक सार प्रदान किया है, हम यह कहने के लिए विवश हैं कि आपराधिक कानून में एक नौसिखिया भी पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों को अंतिम रिपोर्ट से बाहर नहीं छोड़ता। आई. ओ. का प्रयास एक का प्रतीत होता है, "हमला करने के लिए तैयार लेकिन घायल होने से डरता है" (अलेक्जेंडर पोप ने "एपिस्टल टू Dr.Arbuthnot" में जो लिखा था, उसके विपरीत) 1515।

46. एक तर्क को आगे बढ़ाने की मांग की गई जैसे कि मंत्री शामिल नहीं थे और श्री षण्मुगम जो कथित रूप से शामिल हैं,

मंत्री के लिए पी. ए. नहीं था। लेकिन यह तर्क 2021 के डब्ल्यू. पी. No.9061 में आई. ओ. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 11 की सामग्री के सामने आता है जो इस प्रकार हैः

" 11. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचना प्रक्रिया के बाद Tr.V.Senthil बालाजी, तत्कालीन परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया

Tr.Sarangan, विशेष अधिकारी, Tr.K.T.Govindarajan, वरिष्ठ उप प्रबंधक, प्रशासन, त्र. वी. वेंकडराजन, जो अध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत थे, भर्ती की दिन-प्रतिदिन की प्रगति जैसे आवेदन की बिक्री, रसीद के बारे में विवरण एकत्र करने के लिए।

1: 5 मंद प्रशंसा के साथ धिक्कार है, सिविल लीयर के साथ सहमति है, और बिना उपहास के, बाकी को उपहास करना सिखाएं, घाव करने के लिए तैयार हैं और फिर भी हमला करने से डरते हैं, बस एक गलती का संकेत देते हैं, और संकोच करते हैं नापसंद।

पी. धरमराज बनाम। षण्मुगम और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

भरे हुए आवेदन, आयोजित साक्षात्कार आदि। तदनुसार, उन्होंने सभी आठ परिवहन निगमों से विवरण एकत्र किया है

उनके ईमेल पते 'chotpt@gmail के माध्यम से। 'और उसी दिन, उन्होंने इसे मंत्री के कार्यालय के ईमेल आईडी पर भेज दिया

' ministertransport@yahoo। कॉम '। अध्यक्ष कार्यालय और परिवहन निगमों के बीच किए गए ई-मेल संचार

03.11.2014 , 04.11.2014 और 05.12.2014 परिवहन निगम, चेन्नई के अध्यक्ष के कार्यालय से। कई बार यह आंकड़ा जनसंपर्क विभाग के टी. आर. एम. वेत्रीचेलवन को भी भेजा गया था। एम. टी. सी. के अधिकारी (पी. आर. ओ.) ने अपने ईमेल पते 'वेट्री67 @जीमेलकॉम' पर लिखा, क्योंकि वे तत्कालीन परिवहन मंत्री टी. आर. के बहुत करीबी थे। वी. सेंथिल बालाजी। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि ई-मेल का नाम

इसलिए, यह तर्क कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि श्री षण्मुगम को मंत्री के पी. ए. के रूप में नियुक्त किया गया था, केवल अस्वीकार करने के लिए कहा जाना चाहिए। 47. उत्तरदाताओं की ओर से एक और तर्क उठाया गया है -

कि दो अन्य मामले हैं जहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और 2021 का सी. सी. No.25 जिसमें अब हम चिंतित हैं, में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल नहीं हैं। लेकिन उक्त तर्क घृणित है, इस साधारण कारण से कि सभी आपराधिक शिकायतें एक ही नौकरी के लिए नकदी घोटाले से उत्पन्न हुईं। हमें सूचित किया जाता है कि उन दोनों मामलों की कार्यवाही पर भी उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। हम नहीं जानते कि उच्च न्यायालय व्यक्तियों के अभियोजन पर कैसे रोक लगा सकता था

पी. सी. अधिनियम के तहत, विशेष रूप से इस प्रकृति के मामलों में।

48. वास्तव में, राज्य को अनुमति दिए बिना पूरे घोटाले की व्यापक जांच करनी चाहिए थी।

आरोपी ने एक मामले को ऐसे सुलझाया जैसे कि यह एक निजी धन विवाद हो।

49. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा एक पूर्व अवसर पर पारित आदेश पर प्रतिवादियों द्वारा रखी गई निर्भरता

आपराधिक ओ. पी (एम. डी.) सं. 14067 , 140967 , 16023 2016 की वर्तमान शिकायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में, किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर एसएलपी उन याचिकाओं में पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा एसएलपी दायर करने की अनुमति के स्तर पर भी 05.01.2017 पर खारिज कर दिया गया था। इसलिए उत्तरदाता इस पर भरोसा नहीं कर सकते जैसे कि यह एक मिसाल है।

निष्कर्ष

50. ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में, उच्च न्यायालय का विवादित आदेश पूरी तरह से अस्थिर है। इसलिए अपीलों की अनुमति है।

और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। आपराधिक शिकायत को दाखिल करने के लिए बहाल किया जाता है। आई. ओ. अब पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों के आधार पर आगे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए संहिता की धारा 173 (8) के तहत आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त/वैकल्पिक रूप से, विशेष न्यायालय जिसके समक्ष सी. सी. लंबित है, राज्य/आई. ओ. की ओर से कोई अनिच्छा होने पर आई. डी. 1 की धारा 216 के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा। यदि दो अन्य मामले जहां पी. सी. अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित रोक के आदेश के तहत हैं, तो राज्य को रोक को खाली करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन दोनों मामलों से निपटने वाले न्यायालय को पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन को रोकने के विनाशकारी प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए।

51. वर्तमान में हम हस्तक्षेप करने वालों द्वारा विशेष जांच दल का गठन करने या विशेष जांच दल बनाने की प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।

विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करें, क्योंकि हम आशा करते हैं कि ऊपर की गई टिप्पणियों के आधार पर, राज्य स्वयं आवश्यक कार्य कर सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि मुकदमे के समय, विशेष न्यायालय नहीं हो सकता है

इसमें निहित टिप्पणियों से प्रभावित होकर, लेकिन मामले के गुण-दोष और बिंदुओं पर कानून के आधार पर आगे बढ़ें।

अपीलों की अनुमति है। I. बंद रहते हैं।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)